संख्या - 6/2018/1157 /14-5-2018-187/2017

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक, 08 अगस्त, 2018

विषयः- दिनांक 15.08.2018 को एक दिन में किये जाने वाले 9.00 करोड़ वृक्षारोपण में जनसहभागिता।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू-भाग हरा-भरा हो। वनों एवं वृक्षों से निरन्तर लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन नीति-1988 एवं राज्य वन नीति- 2017 के अनुसार प्रदेश का एक तिहाई भू-भाग वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित हो। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार उ0प्र0 के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.09 प्रतिशत वनावरण तथा 3.09 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9.18 के मात्र प्रतिशत क्षेत्र (22,121 वर्ग कि0मी0 भू भाग) में ही वनावरण एवं वृक्षाच्छादन है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति एवं प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षाच्छादन में वृद्धि हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के रूप में कार्य किया जाना होगा।

2- मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि वर्ष 2018-19 में समस्त विभागों का समावेश करते हुये जन आन्दोलन के रूप में सबकी जन सहभागिता सुनिश्चित कर वृहद स्तर पर दिनांक 15.08.2018 को एक ही दिन में **9.00** करोड़ वृक्षों को रोपित किया जाय। इस के सम्बन्ध मे शासनादेश संख्या-1131/14-5-2018-187/2017 दिनांक 04.08.2018 निर्गत किया गया है।

3- उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-1024/14-5-2018-187/2018 दिनांक 12.07.2018 द्वारा जनसहभागिता हेतु व्यापक रूप रेखा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:-

- प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण।
- प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकास प्राधिकरण में वृक्षारोपण।
- केन्द्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सभी विभागों द्वारा वृक्षारोपण।
- जनपद स्तरीय विभागों के मुख्यालय एवं विकास खण्ड में वृक्षारोपण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- समस्त कालेज, स्कूल, कार्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण ।
- कृषकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, नेहरू युवक केन्द्र, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण।
- गंगा हरीतिमा अभियान के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 394/14-5-2018-107/2014, दिनांक 27 मार्च 2018 के अनुरूप एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना के तहत तथा इस कार्यक्रम में संकल्पित वृक्ष भण्डारा, वृक्ष दान, स्मृति वन आदि के माध्यम से जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुये वृक्षारोपण।
- समस्त जनप्रतिनिधियों,पत्रकारों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग।
- प्रभात फेरी निकालना, सायंकालीन नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।
- वृहद प्रचार-प्रसार एवं जन संदेश देने हेतु इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार।
- विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, इको क्लब लायन / रोटरी क्लब, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन आदि का भी इस अभियान में सक्रिय सहयोग लिया जाय।

4- उपरोक्त निर्गत किये गये निर्देशों के क्रम में अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक जनपद में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्थानीय माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, ब्लाक प्रमुख/अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से कार्यक्रम में आंमत्रित कर वृक्षारोपण कराया जाय। इस कार्यक्रम हेतु वित्तीय व्यवस्था अलग से की जा रही है।

5- उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में सत्यापन कार्य हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद में एक स्थल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग ले कर कार्यक्रम सम्पादित करायेंगे। उक्त कार्यक्रम की संकलित सूचना संलग्न प्रारूप में दिनांक 15-08-2018 को सायं 07.00 बजे तक वन विभाग के कमाण्ड सेंटर, लखनऊ को जनपद के कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्रेषित की जाय ।

6- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त, 2018 को सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वृक्षारोपण का जन आन्दोलन चलाकर अभियान के रूप में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का वृहद प्रचार प्रसार किया जाय। वृक्षारोपण के इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोडने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जाय । गंगा हरीतिमा अभियान के अन्तर्गत सक्रिय विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को इस अभियान से जोड़कर उनका सहयोग लिया जाय। पर्यावरण रैली, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से इस अभियान का वृहद प्रचार-प्रसार किया जाय।

7- प्रत्येक विभाग दिनांक 15.08.2018 को **प्रात: 9.00 बजे से प्रत्येक घंटे अपने पौधरोपण की प्रगति,** रोपण समाप्त होने तक लगातार वन विभाग के जनपद स्थित कन्ट्रोल रूम को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाय । यह कार्य जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन होगा। समस्त जोनल एवं सेक्टर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी विभाग की सूचना अप्राप्त न रहे।

8- प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के एक अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु नामित किया जाय, जो सम्बन्धित विभाग की प्रत्येक घण्टे की सूचना वन एवं वन्य जीव विभाग के स्थापित स्थानीय कंट्रोल रूम को बिना किसी व्यवधान के नियमित रूप से उपलब्ध करायें। उक्त सूचना को वन विभाग के पी.एम.एस. पर अपलोड किया जाय।

9- सभी विभागों द्वारा दिनांक 15.08.2018 को होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स वन विभाग के विभागीय मोबाइल एप से उसी दिन पी.एम.एस. पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इस संबंध में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव।

संख्या- 1157(1) /14-5-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,**
   वन एवं वन्यजीव / ग्राम्य विकास/पंचायती राज/राजस्व/ आवास/औद्योगिक विकास/ नगर विकास/ लोक निर्माण/ सिंचाई/ रेशम विकास/ कृषि / पशुपालन / सहकारिता/ उद्योग/ विद्युत/ माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/ श्रम/ स्वास्थ्य /चिकित्सा शिक्षा/परिवहन/रेलवे/रक्षा/उद्यान/पुलिस ।
2. समस्त जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक–15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम का विवरण

क्रम	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	कार्यक्रम के मुख्य अतिथि (मा0 प्रभारी मंत्री / मा0 कैबिनेट / राज्य मंत्री / मा0 सांसद / मा0 विधायक / कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी / अन्य गणमान्य व्यक्ति / जन प्रतिनिधि)	कार्यक्रम स्थल का विवरण	कार्यक्रम की रूपरेखा			अन्य / विविध प्रस्तावित गतिविधिया	अभ्युक्ति
					संबंधित विभाग के स्थानीय नोडल अधिकारी का विवरण	प्रतिभागियों का विवरण (संख्या) (एन,एस,एस, / नेहरू युवा केन्द / एन,सी,सी, / महिला सामाख्या / प्रगतिशील कृषक / विषयविशेषज्ञ / स्वयं सेवी संस्था / विद्यार्थी)	कार्यक्रम स्थल पर गतिविधियों का विवरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10